संख्या 40 /1027/चार-2015-4(वि0)/15

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊः दिनांक 24 मार्च, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य संरक्षित स्मारक छतर मंजिल के अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या- 1574/दितीय-98(103)/2014, दिनांक 19 मार्च,2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य संरक्षित स्मारक छतर मंजिल के अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 207.25 लाख की मूल्यांकित लागत प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू0 181.13 लाख आकलित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि रू0 181.13 लाख (रूपया एक करोड इक्यासी लाख तेरह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:-

(1) प्रायोजना पर नियमानुसार समस्त आवश्यकता वैधानिक आपत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) प्रायोजना के गठन में डी0एस0आर0-2014 की दरों तथा जो दरें शिड्यल दरो में उपलब्ध नहीं है उन्हें बाजार दरों पर विश्लेषित कर लगायी है। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा इसी के आधार पर लागत का आकलन किया गया है।

(3) प्रायोजना के अन्तर्गत सुपरविजन चार्जेज 7.50 प्रतिशत का प्राविधान किया गया है जिसे प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमन्य नहीं किया गया है।

(4) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का सम्पूर्ण दायित्व निदेशक, पुरातत्व निदेशालय तथा कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ् कराया जाय।

(6) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक, पुरातत्व निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृति धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेगी , अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृत प्राप्त कर ली जाय।

4- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय से पूर्ण कर लिया जाय।

5- कार्य पूर्ण होने पर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक -4202-शिक्षा , खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-31-छतर मंजिल का अनुरक्षण एवं विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी -1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या- 40 / 1027 /चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4-वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को इस निर्देश के साथ कि कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे निदेशक, संस्कृति निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।
7- महाप्रबन्धक (ल0अ0-7) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लखनऊ ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मणीन्द्र शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in